

पुलिस ने उसको झूंठा फंसाया है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया । उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। वह दो माह से जेल में बंद है, उसके अधिक समय तक जेल में बंद रहने से उसका परिवार भूखों मर जायेगा। वह अनुसंधान में पुलिस का सहयोग करेगा तथा वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, उसे उचित प्रतिभूति पर छोडने का निवेदन किया।

जबिक ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक शौकत खां द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है। मामला डकैती अधिनियम से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है, आरोपी/आवेदक शौकत खां को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा, अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत केस डायरी के अवलोकन से प्रकट हो रहा है फरियादी रामकुमार गुप्ता ने थाना पर देहाती नालिसी इस आशय की लेख करायी कि-"दि0-24/12/2016 को शाम करीब 04:30 बजे गोहद से अपने बच्चों के पास ग्वालियर चला गया था उसके माता पिता गोहद के घर में रहते हैं, सुबह करीब 7 बजे उसके घर के सामने रहने वाले गिरांज गुप्ता ने मोबाइल फोन से बताया कि माताजी, पिताजी के सिर में काफी चोट होकर घायल हैं तथा घर का सामान बिखरा पडा है, जल्दी आ जाओ तो फरियादी तूरंत ही ग्वालियर से घर पर आया ओर घर का सामान देखा तो सब बिखरा पडा था, सोने चांदी के कीमती जेवरात तथा जगदी गायब थे, माताजी, पिताजी घायल होने से लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिये थे, जहां रैफर होकर इलाज के लिए ग्वालियर चले गये हैं, फरियादी ने सामान चैक किया तो उसकी जानकारी अनुसार घर में रखे सोने के सीतारानी हार, तीन मंगलसूत्र, दो सोने की जंजीर, चार सोने की अंगृिठयां, 12 हाथ का कंगन एक, तथा नीचे ऑफिस एवं दुकान की नगदी करीब डेढ लाख रूपये व उसकी मां की अलमारी में रखी नगदी करीब पचास हजार रूपये रेजगारी करीब 8-10 हजार रूपये तथा घर में रखे चांदी के जेवरात तोडियां, बिछिया आदि करीब एक किलो बजनी, चोरी गये सोने जेवरात का बजन करीब 45 तोला है, चोरी गये सामान की कीमत करीब 15 लाख रूपये है, उसके पिताजी ने बताया कि बदमाशों ने उनकी मारपीट

पी सि अर्थ विश्वेष न्यायाधीय (उकेती गोहद जिला- भिण्ड (म प्र

Order Sheet [Contd]

Case No. A.A. 9.7. of 20 12 ...

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

की थी, मजबूत कद काठी के तथा चेहरे पर कपडा बंधा था, स्थानीय भाषा बोल रहे थे।

उक्त आशय की देहाती नालिसी अपराध क. -0/2016 धारा-394, 459 भा.दं.वि0 व 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत निरीक्षक आशाराम गौतम ने लेख की, जिसपर से थाना गोहद के अपराध क्रमांक-376/2016 धारा-394, 459 भा.दं.वि0 व 11, 13 डकैती अधिनियम के

तहत प्रथम सूचना रिपार्ट पंजीबद्ध की गयी ।

विवेचना के दौरान आरोपी/आवेदक शकील खां के मेमोरेण्डम मुताबिक उसने लूटा सामान अपनी मां आरोपिया हज्जोबाई, अपनी पत्नी शबनम एवं अपनी प्रेमिका श्रीमती प्रीति बघेल को दे देना बताया था, जिसपर से आरोपी/आवेदक शौकत खां से लूटे गये जेवरात जब्त हुए हैं। जहां तक आरोपी/आवेदक शौकत खां को झूंठा फंसाये जाने का आधार लिया गया है, वह गुणदोषों पर निराकरण के समय देखा जाना है, वर्तमान स्टेज पर इस संबंध में निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपी/आवेदक शौकत खां के विरुद्ध धारा 11/13 एम.पी.डी.पी.के. एक्ट का अपराध होने से धारा 5 (2) का वर्जन होने से इस स्टेज पर आरोपी/आवेदक शौकत खां को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आरोपी/आवेदक आरोपी/आवेदक शौकत खां की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. वाद विचार गुणदोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना

निरस्त किया जाता हैं।

आदेश की प्रति बण्डल प्रकरण में संलग्न की जाये। इस प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में

जमा हो।

विशेष न्यायाधीश,डकैती गोहद जिला भिण्ड म.प्र.